the manufacture of new articles to the extent of 25% of the licensed capacity without the formality of obtaining an industrial licence subject to certain conditions. A number of engineering industries have availed of this relaxation. This relaxation has been continued even under the modified licensing policy with such changes as have been necessary.

1. [*Transferred to the 27th May*, 1971.]

**सोनाई स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में अर्जित भूमि का मुआवजा**

**2. श्री सूरज प्रसाद:** क्या **रेल मंत्री** 3 अगस्त, 1970 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 361 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा-हाथरस मीटर लाइन पर सोनाई क्रासिंग स्टेशन के निर्माण के लिए जिन किसानों की भूमि अर्जित की गई थी उनको अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजे के रूप में उन्हें 350 रुपये प्रति बीघा की दर पर भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पूरा मुआवजा देने के लिए सम्बन्धित अधिकारी किसानों से दावे की रकम का 8 प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांग रहे हैं और उनके दावों की सिफारिश नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो बगैर अधिक विलम्ब किये उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†[COMPENSATION FOR LAND ACQUIRED IN CONNECTION WITH CONSTRUCTION OF SONAI STATION

2. SHRI SURAJ PRASAD: Will the Minister of RAILWAYS/**रेल मन्त्री** be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 361 given in the Rajya Sabha on the 3rd August, 1970, and state:

(a) whether it is a fact that the farmers whose land was acquired for the construction Sonai crossing station on the Mathura-Hathras metregauge line have not received full compensation so far and have been paid at the rate of Rs. 350 per bigha in lieu of compensation;

(b) if so, whether Government have received any complaints to the effect that for the grant of full compensation, the officials concerned are demanding 8 per cent of the amount of claim in each case as bribe from the farmers and are not recommending the claims preferred by them; and

(c) if so, what action is being taken by Government to see that the payment of compensation is made to them without any further delay?]

**रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया):** (क) अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का विनिश्चय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। कलक्टर के अन्तिम अधिनिर्णयों की प्रतीक्षा अब भी की जा रही है। फिर भी, इस बीच रेलवे ने मथुरा के कलक्टर की इच्छानुसार 20,852 रुपये की राशि उसके हवाले कर दी है।

(ख) और (ग) चूंकि मुआवजे का भुगतान राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाना है, अतः सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में रेलवे को कोई जानकारी नहीं है।

†[THE MINISTER OF RAILWAYS **रेल मन्त्री** (SHRI K. HANUMANTHAIYA): (a) Compensation for the land acquired is decided by the Revenue authorities. Final awards from the Collector are still awaited. Meanwhile, however, an amount of Rs. 20,852 has been placed by the Railway at the disposal of the Collector, Mathura, as desired by him.]

(b) and (c) Since the compensation is to be paid by the officials of the Revenue Department, the Railway has no knowledge of any such complaints against the concerned officials.]

**शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के बन्द हो जाने से बेकार हुये कर्मचारियों का खपाया जाना**

**3. श्री सूरज प्रसाद :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के बन्द हो जाने से सैकड़ों रेल कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

† [ ] English Translation